भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या 86

सोमवार 29 जुलाई, 2024/07 श्रावण, 1946 (शक)

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए रोजगार

86. प्रो. वर्षा एकनाथ गायकवाड़:
श्री धैर्यशील राजसिंह मोहिते पाटील:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विगत तीन वर्षों के दौरान देश में पंजीकृत शहरी और ग्रामीण बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या में भारी वृद्धि हुई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ख) विगत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान देश में विशेषकर महाराष्ट्र में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछडे वर्गों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों में व्याप्त बेरोजगारी से निपटने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार को किन-किन बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है;

(ग) क्या अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के समुदायों के लिए रोजगार के कोई स्थायी अवसर सृजित किए गए हैं और वर्तमान में कितने पद रिक्त हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या रोजगार के अवसरों में असमानता को देखते हुए भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए कोई उपाय किए गए हैं;

(ङ) सरकार द्वारा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए उपलब्ध अधिकारों और अवसरों के बारे में उन्हें जागरूक बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(च) इस लक्ष्य को हासिल करने हेतु कार्यान्वित की जा रही नीतियों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार मंत्री

(डॉ. मनसुख मांडविया)

(क) से (च): एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

*****

"अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और ईडब्ल्यूएस के लिए रोजगार" के संबंध में प्रो. वर्षा एकनाथ गायकवाड़ और श्री मोहिते पाटिल धैर्यशील राजसिंह द्वारा दिनांक 29.07.2024 को पूछे गए लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *86 के भाग (क) से (च) के उत्तर में संदर्भित विवरण।

(क) से (च): रोजगार और बेरोजगारी पर डेटा आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) के माध्यम से एकत्र किया जाता है जो 2017-18 से सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) द्वारा आयोजित किया जाता है। सर्वेक्षण की अवधि प्रति वर्ष जुलाई से जून है।

नवीनतम उपलब्ध वार्षिक पीएलएफएस रिपोर्टों के अनुसार, वर्ष 2020-21 से वर्ष 2022-23 के दौरान ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए सामान्य स्थिति पर अनुमानित बेरोजगारी दर (यूआर) इस प्रकार है:

बेरोजगारी दर (प्रतिशत में)			
वर्ष	**ग्रामीण**	**शहरी**	**संपूर्ण भारत**
2020-21	3.3	6.7	4.2
2021-22	3.2	6.3	4.1
2022-23	2.4	5.4	3.2

स्रोत: पीएलएफएस, एमओएसपीआई

आंकड़े दर्शाते हैं कि देश में ग्रामीण एवं शहरी दोनों क्षेत्रों में विगत कुछ वर्षों में बेरोजगारी दर में गिरावट की प्रवृत्ति बनी हुई है।

पीएलएफएस रिपोर्ट के अनुसार, विभिन्न सामाजिक समूहों यानी अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी) और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए सामान्य स्थिति पर श्रम बल भागीदारी दर (एलएफपीआर), श्रमिक जनसंख्या अनुपात (डब्ल्यूपीआर) और बेरोजगारी दर (यूआर) यह दर्शाता है कि वर्ष 2020-21 की तुलना में वर्ष 2022-23 में एलएफपीआर और डब्ल्यूपीआर में वृद्धि हुई है, जबकि वर्ष 2020-21 की तुलना में 2022-23 में यूआर में कमी आई है, जैसा कि नीचे तालिका में दिया गया है:

(प्रतिशत में)

सामाजिक समूह	2020-21			2021-22			2022-23		
	एलएफपीआर	डब्ल्यूपीआर	यूआर	एलएफपीआर	डब्ल्यूपीआर	यूआर	एलएफपीआर	डब्ल्यूपीआर	यूआर
एससी	49.3	47.9	2.7	49.2	48	2.4	51.6	50.7	1.8
एसटी	42	40.2	4.2	41.2	39.4	4.4	43.2	41.8	3.2
ओबीसी	40.9	39.2	4.2	40.7	39.1	3.9	42.9	41.5	3.3

जहां तक केन्द्र सरकार में रोजगार अवसरों का संबंध है, खुली प्रतियोगिता द्वारा अखिल भारतीय स्तर पर सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले सिविल पदों और सेवाओं में अनुसूचित जातियों (एससी), अनुसूचित जनजातियों (एसटी), अन्य पिछडे वर्गों (ओबीसी) और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों ईडब्ल्यूएस को क्रमानुसार @ 15%, 7.5%, 27% और 10% को आरक्षण प्रदान किया जाता है। जहां तक सरकार में रिक्त पदों का संबंध है, यह उल्लेखनीय है कि विभिन्न मंत्रालयों/विभागों में आरक्षित श्रेणी की रिक्तियों सहित रिक्त पदों का होना और उन्हें भरा जाना एक निरंतर प्रक्रिया है।

रोजगार सृजन के साथ-साथ नियोजनीयता में सुधार करना सरकार की प्राथमिकता है। तदनुसार, भारत सरकार ने महाराष्ट्र सहित देश में रोजगार सृजन के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं।

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार समाज के वंचित और सीमान्त वर्गों, विशेष रूप से एससी और ओबीसी समुदाय के उत्थान और सशक्तिकरण के लिए प्रयास कर रहा है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा 2014-2015 में अपनी तरह का पहला, अनुसूचित जातियों के लिए वेंचर कैपिटल फंड (VCF-SC) जारी किया गया था। पिछड़ा वर्ग (वीसीएफ-बीसी) के लिए इसी तरह की योजना 2017-2018 में शुरू की गई थी। वीसीएफ-एससी और वीसीएफ-बीसी के अंतर्गत क्रमशः 4% और 6% की कूपन दर पर 10 लाख रुपये से 15 करोड़ रुपये तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। यह योजना पूरे भारत में लागू है। अब तक, महाराष्ट्र से 86 एससी और 5 ओबीसी उद्यमी लाभान्वित हुए हैं।

इन योजनाओं का उद्देश्य अन्य बातों के साथ-साथ अनुसूचित जाति और पिछडे वर्ग के उद्यमियों को रियायती दर पर वित्त प्रदान करना है जो समाज के लिए धन और मूल्य का सृजन करेंगे और साथ ही उनके लाभप्रद व्यवसायों का संवर्धन करेंगे, जिससे इन समुदायों के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजन भी बढ़ेगा।

श्रम और रोजगार मंत्रालय अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रोजगार चाहने वालों को श्रम बाजार की मांगों को पूरा करने हेतु और उन्हे तैयार करने की दृष्टि से भर्ती पूर्व प्रशिक्षण, व्यावसायिक मार्गदर्शन, आजीविका परामर्श और कम्प्यूटर प्रशिक्षण आदि के माध्यम से उनकी नियोजनीयता बढ़ाने के लिए देश भर में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (एनसीएससी-एससी/एसटी) के लिए **25** राष्ट्रीय आजीविका सेवा केन्द्रों के नेटवर्क के माध्यम से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति रोजगार चाहने वालों के लिए कल्याण योजना भी कार्यान्वित कर रहा है।

भारत सरकार के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमिता मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, आवासन और शहरी मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, कपड़ा मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय आदि जैसे विभिन्न मंत्रालय/विभाग प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस) जैसी विभिन्न रोजगार सृजन योजनाओं/ कार्यक्रमों को लागू कर रहे हैं। पंडित दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना (डीडीयू-जीकेवाई), ग्रामीण स्वरोजगार और प्रशिक्षण संस्थान (आरएसईटीआई), दीन दयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम), प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) आदि। इनमें रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए पूंजीगत व्यय में वृद्धि शामिल है। भारत सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही विभिन्न रोजगार सृजन योजनाओं/कार्यक्रमों का ब्यौरा https://dge.gov.in/dge/schemes_programmes पर देखा जा सकता है।

******